राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

✲ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ✲

क्रमांक ....243/ अलवर, 2003–2004

यह प्रमाणित किया जाता है कि राव सूरजमान मेमोरियल एज्यूकेशनल समिति कोटकासिम जिला अलवर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं० 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक उन्नीस माह फरवरी सन् 2003–2004 को अलवर में दिया गया।

राजेश्वर सिंह

रजिस्ट्रार संस्थायें

अलवर

[redacted] सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन समिति कोट कासिम समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम श्री सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन समिति कोट कासिम समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय श्री सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन समिति अलवर जिला [illegible] कोट कासिम है।
तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य:-

1. ग्रामीण बालक बालिकाओं की के शिक्षार्थ विद्यालय स्थापना करना
2. ग्रामीण बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना एवं शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना
3. बालक-बालिकाओं के विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सा व मनोरंजन के केन्द्र खोलना
4. क्षेत्र में नारी चेतना व स्त्री शिक्षा के प्रति नागरिकों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
5. क्षेत्र में साक्षरता व पर्यावरण एवं सफाई के प्रति प्रचार व प्रसार करना व चेतना उत्पन्न करना।
6. बालक-बालिकाओं की खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करना व प्रोत्साहन हेतु व्यायामशाला खोलना।
7. बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश देना [illegible] कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षण देना
8. राज्य के कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति में सहयोग करना।
9. राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना व शर्तें अनुकरण करना।
10. सामान्यतया ये सभी बातें करना जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रासंगिक व प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी है।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

Jaipal. — अध्यक्ष | मन्त्री | Ramkishan — कोषाध्यक्ष

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 2463/अलवर/2004-05
2. संस्था का नाम श्री सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन समिति कोट कासिम
3. किस्म [illegible]
4. दस्तावेजों की संख्या [illegible]
5. पंजियन दिनांक [illegible]
6. हस्ताक्षर [illegible]

रजिस्ट्रार, संस्थाएं
अलवर (राजस्थान)

[illegible]
1. हस्त [illegible]
2. हस्ताक्षर [illegible]
3. नकल [illegible] की दिनांक [illegible]
4. नकल [illegible] की दिनांक [illegible]
5. नकल देने की दिनांक [illegible]

रजिस्ट्रार संस्थाऐं

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया हैं, जिसके प्रथम वर्ती पदाधिकारी निम्न हैं:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	अध्यापन	V.P.O कोटकासिम	अध्यक्ष
2.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामनारायण	दुकानदार	V. [illegible] P.O जोड़िया Teh कोटकासिम	उपाध्यक्ष
3.	श्री सोमदत्त S/o श्री रूपसिंह	अध्यापन	सिविल हॉस्पिटल रोड बहरोड़ [illegible]	मन्त्री
4.	~~रामकिशन~~ रोशन लाल S/o श्री राम	अध्यापन	V.P.O - कोटकासिम कोटकासिम [illegible]	उपमन्त्री
5.	रामकिशन S/o Sh. [illegible]	अध्यापन	सिविल हॉस्पिटल रोड बहरोड़ अलवर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री कमल गुप्ता S/o Sh. [illegible]	शिक्षा	V.P.O कतापुर जि. अलवर	सदस्य
7.	सुरेन्द्र सिंह S/o [illegible]	दुकानदार	V.P.O. कोटकासिम	सदस्य

अध्यक्ष

मन्त्री

Ram Kishan

कोषाध्यक्ष

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जिसके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इस रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं:-

सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
	श्री जयपाल सिंह पु. श्री राम चन्द्र	अध्यापक	V.P.O. कोटकासिम	Jaipal
	रघुवीर सिंह S/O [illegible]	कृषि कार्य	कुरनि [illegible] बहरोड (अलवर)	रघुवीर
	श्री ओमप्रकाश पु. श्री रामनारायण	दुकानदार	V. गोपालपुर P.O. [illegible] Teh. कोटकासिम	ओमप्रकाश
	श्री सोमदत्त पु. श्री भूपसिंह	अध्यापक	सिविल हॉस्पिटल के [illegible] बहरोड, अलवर	[illegible]
	श्री रोशन लाल पु. श्री राम	अध्यापक	V.P.O. करतापुर कोटकासिम (अलवर)	[illegible]
	श्री कमल गुप्ता S/O Sh. मुन्नी लाल	शिक्षा	V.P.O. कोटकासिम	KamalGupta
	श्री रामस्वरूप पु. श्री राम	व्यवसाय कृषि कार्य	V.P.O. कोटकासिम	[illegible]
	श्री सुरेश देवी पत्नी श्री [illegible] सिंह	गृहणी एवं समाज सेवा	V.P.O. कोटकासिम	सुरेश [illegible]
	श्री लक्ष्मीनारायण पु. श्री [illegible]	समाजसेवी दुकानदार	V.P.O. कोटकासिम (अलवर)	लक्ष्मीनारायण
	श्री [illegible] पु. श्री [illegible]	समाजसेवक	V.P.O. कोटकासिम	[illegible]
10.	श्रीमती सुनीता देवी w/o श्री [illegible]	गृहणी एवं सामाजिक कार्य	V.P.O. कोटकासिम	सुनीता देवी
11.	श्री राम पु. श्री [illegible] सिंह	समाजसेवी	V.P.O. कोटकासिम	श्री राम
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह पु. हरिसिंह	दुकानदार	V.P.O. कोटकासिम	सुरेन्द्र सिंह
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पु. श्री [illegible]	दुकानदार	V.P.O. कोटकासिम	राजेन्द्र प्रसाद
	श्री ओमप्रकाश पु. श्री रामनारायण	दुकानदार	V. गोपालपुर P.O. [illegible] Teh. कोटकासिम	ओमप्रकाश
15.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं । हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर व्याख्याता
(राजपत्रित अधिकारी) राज. व. [illegible] विद्यालय
मय मोहर

(साक्षी)

राज. [illegible]

2. हस्ताक्षर
(राजपत्रित अधिकारी)
मय मोहर

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

राव सूरजाराम मैमोरियल एज्यूकेशनल समिति कोट कासिम ...... समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम राव सूरजाराम मैमोरियल एज्यूकेशनल समिति कोट कासिम ...... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था हैं व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राव सूरजाराम मैमोरियल एज्यूकेशनल चौकी रोड कोटकासिम जिला अलवर ...... हैं।
तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर ...... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था का निम्नलिखित उद्देश्यः-

1. ग्रामीण बालक-बालिकाओं के लिए विद्यालय व शिक्षा का प्रचार, प्रसार करना
2. ग्रामीण बालक-बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना एवं शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं [illegible]
3. बालक-बालिकाओं के विकास हेतु पुस्तकालय वाचनालय चिकित्सा व मनोरंजन [illegible]
4. क्षेत्र में नारी चेतना व महिलाशिक्षा के प्रति नागरिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना
5. क्षेत्र में साक्षरता, पर्यावरण व सफाई के प्रति प्रचार-प्रसार करना व चेतना उत्पन्न करना [illegible]
6. बालक-बालिकाओं की खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करना व प्रोत्साहन हेतु व्यायामशाला [illegible]
7. बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश देना व पिछड़े व कमजोर वर्ग के बच्चों को [illegible]
8. राज्य के कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति में सहयोग करना।
9. राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना व इसके अनुरूप शिक्षा [illegible]
10. सामान्यतया वे सभी कार्य करना जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहायक [illegible]

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

4.	सदस्यता:-	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो। 2- बालिग हो। 3- पागल, दीवालिया न हों। 4- संस्था के उद्देश्यो में रूचि व आस्था रखते हो। 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
5.	सदस्यो का वर्गीकरण:-	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे। 1- संरक्षक 2- विशिष्ठ 3- सम्माननीय 4- साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6.	सदस्यो द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:-	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यो द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:- 1- संरक्षक राशि ....251/-........ वार्षिक/आजन्म 2- विशिष्ठ राशि ....251/-........ वार्षिक/आजन्म 3- सम्माननीय राशि ....151/-........ वार्षिक 4- साधारण राशि ....101/-........ वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू. ....5/-........ की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7.	सदस्यता से निष्कासन:-	संस्था के सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1- मृत्यु होने पर 2- त्यागपत्र देने पर 3- संस्था के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने पर 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।
8.	साधारण सभा:-	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें।
9.	साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगें:- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पास करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4- संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
10.	साधारण सभा की बैठकें:-	1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यो का 1/3 होगा। 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री-अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यो में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।
11.	कार्यकारिणी का गठन:-	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें।

1- अध्यक्ष-एक　　2- उपाध्यक्ष-एक

3- मन्त्री-एक　　4- कोषाध्यक्ष-एक

3- सदस्य-सात　　6 आ गंत्री

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख ले।)

इस कार्यकारिणी में ....5.................................. पदाधिकारी व ....2......... सदस्य कुल .....7............................. सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचनः-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी क चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिऐ साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे:-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण समिति द्वारा पारित निर्णयो को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें:-

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा आत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यो के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्यः-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगे:-

1- **अध्यक्षः**

1- बैठको की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठके आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।

2- **उपाध्यक्षः**

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारो का उपयोग करना।

3- **मन्त्रीः**

1- बैठके आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियो पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेज पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4 उपमंत्री :

1- मंत्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखो पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष — संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 243/अलवर/2003-04
2. संस्था का नाम राज रूरल ... मैमोरियल एजुकेशनल ... सोसायटी ...
3. किसके द्वारा ...
4. दस्तावेजों की संख्या ...
5. पंजीयन दिनांक ...
6. हस्ताक्षर ...

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित/रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर (राजस्थान)

17. कोष सम्बन्धी विशेषधिकार — संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें:-

1- अध्यक्ष 15000/-

2- मन्त्री 11000/-

3- कोषाध्यक्ष 5000/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगी। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण:- संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगें।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाये को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा

21. संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाये ...अलवर... को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उसके दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान(नियमावली) ...राज रूरल मैमोरियल एजुकेशनल... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति हैं।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

CamScanner